635

राजस्थान सरकार

क्रमांक: सं.प. 5/3/नविवि/3/99 पार्ट जयपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2002

आदेश

नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 12 में आरक्षित दर तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, उक्त कमेटी का अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को बनाया गया है। जिला कलेक्टर चूंकि कार्यों में व्यस्तता के कारण बैठक का आयोजन नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं जिससे समय समय पर आरक्षित दरों का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण नहीं होता है। कार्य के शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उक्त कमेटी में नगर विकास न्यास क्षेत्र में अध्यक्ष एवं नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र मेयर/अध्यक्ष को जिला कलेक्टर के स्थान पर अध्यक्ष होगें।

नोट : यह परिपत्र अधिसूचना दिनांक 15.01.2002 के द्वारा उक्त नियम 12 में किए गए संशोधन को नरज अंदाज करके जारी किया गया है क्योंकि संशोधित नियम 12 के तहत आरक्षित दर तय करने का अधिकार न्यास को ही प्राप्त है।

※ ※ ※

(29)
(400)